इकाई तृतीय

पर्यावरण कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं

(Environmental Laws and International Declarations)

3.1 पर्यावरणीय (सुरक्षा) एक्ट, 1986 (The Environmental [Protection] Act, 1986)

पर्यावरण संरक्षण की समस्या आज विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। विश्व का लगभग हर देश इस समस्या के समाधान के लिए अलग–अलग तरीके से प्रयासरत है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये गये। समय–समय पर विभिन्न कानून भी बनाये गये। संविधान के अनुच्छेद 48–क में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार ''राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'' इसी प्रकार अनुच्छेद 51–क में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्त्तव्य मानते हुए यह प्रावधान किया गया है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।'' हमारे देश में 200 से भी अधिक अधिनियम बने हैं। यहां हम निम्नांकित पांच अधिनियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे :

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972
5. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [The Environment (Protection) Act, 1986]

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 19 नवम्बर, 1986 से लागू है। इस अधिनियम को चार अध्यायों एवं 26 धाराओं (Sections) में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में दो धाराएं हैं, द्वितीय में चार, तृतीय में 11 तथा चतुर्थ अध्याय में कुल नौ धाराएं हैं।

धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रवर्तन (Commencement) दिया गया है।

धारा 2 में पर्यावरण से सम्बन्धित शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है।

धारा 3 पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 4 अधिनियम की सफल क्रियान्विति करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कृत्य निर्धारण की शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 5 में निर्देश देने की शक्तियां हैं।

धारा 6 केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करती है।

धारा 7 के अनुसार, उद्योग संक्रिया (Operation) आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्सरण (Discharge) की अनुज्ञा नहीं होगी।

धारा 8 के अनुसार परिसंकटमय पदार्थों (Hazardous substances) से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन करेंगे।

धारा 9 कतिपय मामलों में प्राधिकारियों (Authorities) और अभिकरणों (Agencies) को सूचनाएं देने का निर्णय करती है।

धारा 10 प्रवेश, तलाशी एवं निरीक्षण के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 11 नमूना लेने तथा उसका विश्लेषण कराये जाने के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 12 में हवा, जल, मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है।

धारा 13 में हवा, जल, मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के विश्लेषण के लिए स्थापित या मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है।

धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट के साक्ष्यिक मूल्य को सुनिश्चित करती है।

धारा 15 शास्ति (Penalty) के बारे में प्रावधान करती है। इसके अनुसार –

(i) इस अधिनियम के उपबंधों, निर्धारित मानदण्डों या निदेशों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष की कैद अथवा एक लाख रुपये जुर्माना।

(ii) उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन पांच हजार रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना तथा

(iii) दोष सिद्धि के पश्चात् एक वर्ष से अधिम समय तक ऐसा उल्लंघन जारी रहने पर सात वर्ष की सजा।

धारा 16 कम्पनियों द्वारा अपराध पर दण्ड निर्धारण का प्रावधान करती है।

धारा 17 में सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराध पर दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

धारा 18 नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वालों की वाद या विधिक कार्यवाही से रक्षा करती है।

धारा 19 अपराधों के संज्ञान (Cognizance of offences) के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 20 सूचनाओं, रिपोर्टों व विवरणियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 21 में धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 'लोकसेवक' घोषित किया गया है।

धारा 22 सिविल न्यायालय को अधिकारिता का अपवर्जन करती है।

धारा 23 केन्द्र सरकार को प्रत्यायोजन (Delegation) की शक्तियां प्रदान करती है।

धारा 24 में अन्य विधियों (Other laws) के प्रभाव निहित है।

धारा 25 में केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गयी है।

धारा 26 में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम संसद के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है।

यह एक्ट पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार एवं इससे सम्बन्धित विषयों के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट चार अध्याय तथा 26 खंडों (Sections) में विभाजित है।

इसके खंड 2 में पर्यावरण, पर्यावरणी प्रदूषक और पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है–

पर्यावरण (Environment) : जब वायु और भूमि में परस्पर सम्बन्ध और इनका जीवों (प्राणी, पादप, सूक्ष्म जीव इत्यादि) के साथ परस्पर सम्बन्ध।

पर्यावरणीय प्रदूषक (Environmental pollutant) : कोई भी ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ जब ऐसी मात्रा या सान्द्रता में उपस्थित है कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो तो उसे पर्यावरणीय प्रदूषक कहते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण (Environmental pollution) : पर्यावरणीय प्रदूषक की सामान्य या उससे अधिक मात्रा में उपस्थिति जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।

इस एक्ट में केन्द्र सरकार को वे शक्तियां प्राप्त है जिनसे

1. पर्यावरण की गुणवत्ता बचाने और सुधारने के लिए आवश्यक तरीके अपनाये जा सके।
2. पर्यावरण प्रदूषण हटाने, नियंत्रण करने और कम करने के उपाय कर सकें।

इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि केन्द्र सरकार को अन्य शक्तियों के अलावा निम्न अधिकार भी होने चाहिए–

1. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण, निवारण व कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमांक का आयोजन व संपादन करना।
2. पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक (Standard) तैयार करना।
3. विभिन्न स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन व विसर्जन के मानक तैयार करना।
4. क्षेत्रों का प्रतिबंध जिसमें उद्योग या जो प्रक्रम नहीं जाने चाहिए उनके लिए किसी सुरक्षा बचाव (Safeguards) की व्यवस्था।
5. जिन दुर्घटनाओं (Accidents) से पर्यावरण प्रदूषण को खतरा हो सकता है। उनके निवारण के लिए प्रक्रिया और बचाव के उपाय करना।

6. खतरनाक पदार्थों के हस्तन की प्रक्रिया तय करना।
7. जिन निर्माण वस्तुओं और पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषण की संभावना हो उनके परीक्षण की व्यवस्था करना।
8. पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान का प्रयोजन करना।
9. पर्यावरणीय प्रदूषण पर जानकारी एकत्रित करना और उसको स्थान–स्थान पर पहुंचाना।
10. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण, निवारण और कम करने वाली निर्देशिका (Manuals), विधि संहिता (Coder) तथा मार्गदर्शिका (Guides) का निर्माण करना आदि।

3.2 अनुच्छेद 48–ए (Article 48-A)

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A और 51A जोड़े गये हैं। यह संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 से प्रभावी (Operative) हुआ। ये क्रमशः राज्य की नीति निर्देश सिद्धान्त (Directive principles of state policy) और मूलभूत कर्त्तव्यों (Fundamental duties) से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 48A पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार (Protection and improvement) और वनों और वन्य जीवों की रक्षा : यह राज्य का कर्त्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार को सुनिश्चित करे तथा देश वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे।

3.3 अनुच्छेद 51–ए (Article 51-A)

अनुच्छेद 51A मूलभूत कर्त्तव्य (Fundamental duties): भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

भाग 4 क – मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य : भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

क. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

ख. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

ग. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।

घ. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

ड. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।

च. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

छ. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

ज. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

झ. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

ञ. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाईयों को छू सके।

त. 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

3.4 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [The Wild Life (Protection) Act, 1972]

इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 9 दिसम्बर 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। इस अधिनियम को जम्मू–कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम को वर्ष 1982 तथा 1986 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम में सात अध्याय, छह अनुसूचियां तथा 66 धाराएं हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्य तथा विशेषताएं निम्न हैं :–

1. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण व प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
2. अनुसूची I, II, III में वर्णित वन्य जीवों का शिकार प्रतिबन्धित है (धारा 9)। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी खतरनाक वन्य जीव का वध करता है तो वह दण्डनीय अपराध नहीं माना जायेगा। **(धारा 11)**

3. विशेष प्रयोजन जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध हेतु किसी वन व पशु के शिकार के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का प्रावधान है। **(धारा 12)**
4. विनिर्दिष्ट पौधों (Specified plants) को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने आदि प्रतिषिद्ध (Prohibition) है **(धारा 17 क)**। विशेष कार्यों के लिए (वैज्ञानिक अनुसंधान आदि) अनुज्ञा प्राप्ति का प्रावधान है **(धारा 17 ख)**। बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करना **(धारा 17 ग)** या व्यापार करना **(धारा 17 घ)** प्रतिषिद्ध (Prohibited) है।
5. वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य (Sanctuary) घोषित कर सकती है। कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अभयारण्य में प्रवेश प्रतिबन्धित है।
6. अभयारण्य में विनाश करना, आग लगाना, हथियार के साथ प्रवेश, घातक पदार्थ का उपयोग आदि प्रतिबन्धित है।
7. केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्तियों का प्रावधान है। **(धारा 88)**
8. इस अधिनियम में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
9. वन्य जीवों का शासन की सम्पत्ति घोषित किया गया है। **(धारा 39)**
10. बिना अनुज्ञप्ति के ट्राफी और पशु वस्तु के व्यापार पर प्रतिबन्ध है। **(धारा 44)**
11. वन्य जीवों का शिकार, दोषपूर्वक अभिग्रहण या उपबन्धों का उल्लंघन करने पर उसे 5 वर्ष तक का कारावास व 5 से 25 हजार रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
12. अपराध को पकड़ने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहायता देने वालों को पारितोषिक (मुआवजा की राशि का 20 प्रतिशत तक) का प्रावधान है।
13. यह अधिनियम केन्द्र शासित अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को प्रदत्त शिकार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। **(धारा 65)**

3.5 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1984]

इस अधिनियम को 23 मार्च 1974 से असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल (12 राज्यों) तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। जहां तक अन्य राज्यों में लागू होने का प्रश्न है, धारा 1 की उपधारा (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अन्तर्गत संकल्प पारित कर इसे अपने राज्य क्षेत्र में लागू कर सकेगा। वर्ष 1978 व 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में कुल आठ अध्याय व 64 धाराएं हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण करना, जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाये रखना तथा जल को प्राकृतिक पूर्वावस्था में लाना है।
2. इस अधिनियम में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (Chairman) के साथ 16 सदस्यीय केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान है **(धारा 3 व 4)**, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अंशकालिक भी हो सकता है। बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगा **(धारा 8)**, करार द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों आदि के लिए संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जा सकता है। **(धारा 13)**
3. जल प्रदूषण को रोकना अधिनियम का प्रमुख लक्ष्य है। **''एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया''** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार ''कोई भी नया कारखाना प्रारम्भ किये जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक ऐसा कारखाना व्यावसायिक बहिःस्त्राव के निस्सरण की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था नहीं कर लेता है।
4. राज्य बोर्ड की बहिःस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है।
5. राज्य बोर्ड या उसके सशक्त अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। **(धारा 23)**
6. प्रदूषण पदार्थ आदि के व्ययन (Disposal) के लिए सरिता (Stream) या कुंए के उपयोग पर प्रतिषेध (Prohibition) है **(धारा 24)**। सरिता या कुएं के प्रदूषण की दशा में आपात उपायों की व्यवस्था की गयी है **(धारा 32)**। ऐसे उपाय करने की अधिकारिता राज्य बोर्ड को प्रदान की गयी है।
7. जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के अधीन केन्द्रीय या राज्य बोर्डों के निदेशों की पालना में असफल

रहने पर तीन माह से 7 वर्ष तक की अवधि तक कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किये जाने की व्यवस्था है **(धारा 41)**। कुछ परिस्थितियों में शास्ति (Penalty) का भी प्रावधान है। कम्पनियों व सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराध पर दण्ड का प्रावधान है।

8. बोर्डों के कृत्यों में बार–बार व्यतिक्रम आने पर या लोकहित में आवश्यक होने पर केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय बोर्ड और संयुक्त बोर्डों तथा राज्य सरकार को राज्य बोर्ड को अतिष्ठित (Supersede) करने की शक्ति प्रदान की गयी है। **(धारा 61 एवं 62)**
9. केन्द्रीय **(धारा 63)** व राज्य **(धारा 64)** सरकारों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य बोर्डों के परामर्श से नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

3.6 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 [The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981]

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में 16 मई 1981 से लागू है। इसे वर्ष 1987 में संशोधित भी किया गया है। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 54 धाराएं (Sections) हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. इस अधिनियम में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड की व्यवस्था की गयी है। **(धारा 3)**
2. इसके अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। **(धारा 5)**
3. राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने तथा उसमें ईंधन, उपकरण एवं उत्तेजन सामग्री के उपयोग को निषेधित करने की शक्तियां दी गयी है। **(धारा 19)**
4. किसी उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति को राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन की अनुज्ञा नहीं होगी। **(धारा 22)**
5. राज्य बोर्ड द्वारा निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण (धारा 24) एवं वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने लेने और उसके सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं **(धारा 26)** की शक्ति प्रदान की गयी है।
6. **धारा 21** (कतिपय औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर निर्बन्धन) या धारा 22 के उपबंधों अथवा **धारा 31** क (निदेश देने की शक्तियां) के अधीन जारी किये गये निदेशों का पालन न करने पर प्रथम दोष पर डेढ़ वर्ष से छः वर्ष तक की कैद व पांच हजार रुपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है। प्रथम दोष सिद्धि की तिथि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने की कारावास अवधि 2 से 7 वर्ष होगी एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। **(धारा 37)**
7. इसके अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा अपराध **(धारा 40)** व सरकारी विभागों द्वारा अपराध **(धारा 41)** पर दंड का प्रावधान है।
8. यदि बोर्ड के कृत्य में बार–बार व्यतिक्रम आता है या यदि राज्य सरकार ऐसा समझती है कि यह लोकहित में आवश्यक है तो वह राज्य बोर्ड को एक वर्ष के लिए अतिष्ठित (Supersede) कर सकती है। **(धारा 47)**
9. केन्द्र व राज्य सरकार को विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान है। **(धारा 53 व 54)**

3.7 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [Forest (Conservation) Act, 1980]

पारिस्थितिकी सन्तुलन में वनों के महत्व को देखते हुए वर्ष 1858 में वानिकी विभाग (Department of Forestry) की स्थापना की गयी। इसके अगले वर्ष में प्रथम भारतीय वन अधिनियम (Indian Forest Act) पारित हुआ। इसके पश्चात् वर्ष 1878 तथा 1927 में अन्य वन अधिनियम पारित हुए। भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन संरक्षण हेतु आज भी प्रभावी है। सातवें शिड्यूल की सूची 11 में प्रविष्टि 19 के अनुसार वन संरक्षण का काम पहले राज्य सरकार के अधीन था। वनों के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए वर्ष 1976 में (42वां संशोधन) प्रविष्टि 19 को हटाकर प्रविष्टि 17–ए के द्वारा वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को दे दी गयी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं राष्ट्रीय वन नीति, 1952 (व पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति, 1988) (National Forest Policy, 1952 and 1988) के बावजूद वनों का क्षरण जारी रहा। इस समस्या के समाधान हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 पारित हुआ जिसे बाद में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के रूप में मान्यता दी गयी। यह अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 को लागू किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जम्मू–कश्मीर को छोड़कर देश के सभी अन्य प्रांतों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रभावी है। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम में पांच प्रभाग बनाए गए हैं। 1988 में धारा 3 में संशोधन करके उसके साथ धारा 3A व 3B जोड़े गए हैं। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्न हैं :–

1. ''वनोन्मूलन से पारिस्थितिकी असंतुलन व पर्यावरण का ह्रास होता है। वनोन्मूलन जो वृहद् स्तर पर जारी है, एक बड़ी चिन्ता का विषय है।'' यह कथन ही इस अधिनियम के पारित होने का मूल आधार है। अर्थात् वनोन्मूलन की प्रभावी रोकथाम करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।
2. इस अधिनियम के प्रावधान सभी प्रकार के वनों पर लागू होंगे।
3. वनों का धनार्जन का साधन न मान कर इनको प्राकृतिक संसाधन माना जायेगा।
4. राज्य या किसी अन्य सशक्त प्राधिकरण द्वारा वनों को अनारक्षित (Dereservation) करने या वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लाने हेतु केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। **(धारा 2)**
5. ऐसी अनुमति विकास आदि कार्यों के लिए उस स्थिति में दी जा सकेगी जब समतुल्य क्षेत्र में पुनःवनीकरण की पूर्ण व्यवस्था हो।
6. इस अधिनियम के अनुबंधों का उल्लंघन किसी सरकार अधिकारी या अन्य द्वारा करने पर दण्ड का प्रावधान है।
7. इस अधिनियम में गरीब आदिवासी, जो भूमिहीन हो, के द्वारा किये गये वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने का प्रावधान है।

3.8 ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 [Noise Pollution - (Regulation and Control) Rules 2000]

[1]का.आ. 123 (अ) – विभिन्न स्रोतों से लगे स्थानों में परिवेशी ध्वनि स्तरों की वृद्धि पर अन्य बातों के साथ–साथ, औद्योगिक कार्यकलाप, सन्निमार्ण कार्यकलाप, [2](पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण), जनरेटर सेट, लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, संगीत प्रणाली, यानीय हार्न और अन्य यांत्रिक युक्तियों का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है; अतः ध्वनि के संबंध में परिवंशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादक और जनक स्रोतों को विनियमित और नियंत्रित करना आवश्यक समझा गया है।

ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियम) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 528(अ), तारीख 28 जून, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आमंत्रित किये गए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जुलाई, 1999 को उपलब्ध करा दी गई थी।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ii), धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा धारा 25 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि उत्पादक और जनक स्रोतों के विनियमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं

(क) ''अधिनियम'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है।

(ख) ''क्षेत्र/परिक्षेत्र'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिये गए चार प्रवर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ग) [3]''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रवृत विधियों के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी सम्मिलित हैं इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के

1. भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग–II-खण्ड 3–उपखण्ड-II में का.आ. 123 (अ), दिनांक 14.2.2000 को प्रकाशित।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 2 द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ) दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2(ii) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।

अनुरक्षण के लिए अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी हैं जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(घ) [1]''न्यायालय'' से ऐसा सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो एक या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना है और वे विवादों के न्याय निर्णयन और न्याय करने के लिए बैठते हैं तथा इसके अन्तर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी है जो न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट द्वारा पीठासीन है और सिविल कराधान तथा आपराधिक मामले के अधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ङ) ''शैक्षणिक संस्था'' से स्कूल, सेमिनरी, महाविद्यालय, विश्वविधालय, वृतिक अकादमी, प्रशिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षणिक स्थापन, जो आवश्यक रूप से चार्टड संस्था नहीं है, अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत न केवल भवन सम्मिलित हैं बल्कि इसमें ऐसे सभी स्थल भी हैं जो शैक्षिकण अनुदेश की पूर्ण व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए हैं जो मानसिक, नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक है।

(च) ''अस्पताल'' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो बीमार, घायल, शिथिलांग या वयोवृद्ध व्यक्तियों को भर्ती करने और उनकी देख–रेख करने के लिए है और इसके अन्तर्गत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, परिचर्या गृह तथा क्लिनिक सम्मिलित हैं।

(छ) [2]''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यष्टियों का कोई संगम या निकाय सम्मिलित हैं चाहे यह निगमित हो या नहीं।

(ज) [3]संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''राज्य सरकार'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

(झ) [4]''सार्वजनिक स्थल'' से ऐसे स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता की पहुंच है चाहे उसका अधिकार हो या न हो, और जिनके अन्तर्गत ऑडीटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, खुले मैदान और इसी प्रकार के स्थान जिनमें आम जनता जाती है और

(ञ) ''रात्रि समय'' से 10.00 बजे रात्रि और 6.00 बजे प्रातः के बीच की अवधि अभिप्रेत है।

3. विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

(1) विभिन्न क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) [5]राज्य सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में क्षेत्रों को (प्रवर्गीकृत करेगी)।

(3) राज्य सरकार ध्वनि के उपशमन के लिए उपाय करेगी जिसमें यानीय संचलन से प्रसर्जित ध्वनि, [6](हार्न बजाना, आवाज करने वाले पटाखें फोड़ना, लाउड स्पीकरों या लोक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग) सम्मिलित है और यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यमान ध्वनि स्तर इन नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक न हो।

(4) सभी विकास प्राधिकारी, स्थानीय निकाय और अन्य संबद्ध प्राधिकारी, शहरी और ग्रामीण योजना से संबंधित विकास क्रियाकलाप का आयोजन करते समय या उससे संबंधित कृत्यों का पालन करते समय ध्वनि संकट से बचाव के लिए और ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन की क्वालिटी के प्राचल के रूप में ध्वनि प्रदूषण के सभी पक्षों पर विचार करेंगे।

अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आसपास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित किया जाएगा।

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046(अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2(ii) द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2(ii) द्वारा पुनर्सख्यांकित एवं प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2(ii) द्वारा पुनर्सख्यांकित एवं प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 3 द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
6. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 4 द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।

4. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रवृत करने का दायित्व

(1) किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र में ध्वनि स्तर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट ध्वनि से संबंधित परिवंशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक नहीं होगा।

(2) प्राधिकरण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन और ध्वनि से संबंधित परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) [1]संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, ध्वनि प्रदूषण और खोजे गए उपायों से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़ों को, इसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए, संग्रहीत, संकलित और प्रकाशित करेंगे।

5. लाउड स्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली[2] (और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण) के प्रयोग पर निर्बन्धन

(1) लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब प्राधिकरण से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई हो।

(2) [3]लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या वाद्य उपकरण या ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तब के जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर जैसे प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल हो या सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाएगा।

[4](3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है, किसी सांस्कृतिक या धार्मिक पर्व के अवसर पर या उसके दौरान लाउड स्पीकरों या [5](रात्रि के दौरान लोक शब्द संबोधन प्रणाली और इसके समान का प्रयोग रात में (10.00 बजे रात्रि से 12.00 बजे मध्य रात्रि तक) सीमित अवधि के लिए, जो किसी कलेण्डर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी, अनुज्ञात कर सकेगी।) [6](संबंधित राज्य सरकार साधारणतया पहले से दिनों की संख्या और विवरणों का अग्रिम शब्द रूप से उल्लेख करेंगे जब ऐसी छूट प्रभावी होगी।)

(4) [7]सार्वजनिक स्थान, जहां लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तर 10 dB(A) या 75 dB(A) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(5) किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण या परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवारी में, उस क्षेत्र जहां यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशी ध्वनि मानक के 5 dB(A) से अधिक न होगा।

5क. भोपू (हार्न) के उपयोग, ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिर्माण मशीनें और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

(1) भोपू (हार्न) का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि समय में आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(2) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे परिक्षेत्र या रात्रि समय में नहीं फोड़े जायेंगे।

(3) रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिर्माण मशीनें शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जायेगी या चलाई नहीं जायेगी।

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2 (i) द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569(अ), दिनांक 19.09.2008 को अधिसूचित।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (क) द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, के नियम 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2002 के नियम 2 द्वारा अतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1088(अ), दिनांक 11.01.2002 को अधिसूचित।
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (ग) (क) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. का 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
6. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (ग) (ख) द्वारा अंतः प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. का 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
7. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 6 (घ) द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।

6. शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र में किसी उल्लंघन के परिणाम

जो कोई व्यक्ति शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी स्थान में निम्नलिखित कोई अपराध करता है, वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा :–

(i) जो कोई किसी प्रकार का संगीत गाता/बजाता है या कोई ध्वनि प्रवर्धक प्रयोग करता है, या

(ii) जो कोई ढोल/टॉम टॉम पीटता है या हार्न बजाता है चाहे वह संगीतमय हो या दबाने वाला या तुरही बजाता है या किसी यंत्र को पीटता है या बजाता है; या

(iii) जो कोई भीड़ आकर्षित करने के लिए कोई अनुकरणशील, संगीतमय या अन्य अभिनय प्रदर्शित करता है; या

(iv) [1]जो कोई, ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ता है, या

(v) जो कोई, लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग करता है।

7. प्राधिकरण को की जाने वाली शिकायतें

(1) कोई व्यक्ति, यदि ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डीबी(ए) या किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र [2](या, यदि रात्रि समय के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में इन नियमों के किसी उपबंध का अतिक्रमण है के सामने तत्संबंधी स्तंभ में दिये गए मानक से अधिक बढ़ जाता है) तो प्राधिकरण को शिकायत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, शिकायत पर कार्यवाही करेगा और उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन नियमों और प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

8. किसी संगीतमय ध्वनि या ध्वनि के जारी रहने को प्रतिषिद्ध आदि करने की शक्ति

(1) यदि प्राधिकरण का, किसी पुलिस थाने के प्रभावी अधिकारी को रिपोर्ट से या उसके द्वारा प्राप्त किसी अन्य सूचना से [3](जिसमें शिकायतकर्ता से प्राप्त सूचना भी सम्मिलित है,) समाधान हो जाता है कि लोक या किसी व्यक्ति, जो उसके आसपास निवास करता हो या किसी संपति का अधिभोग करता हो, क्षोभ, विघ्न, असुविधा या क्षति या क्षोभ, विघ्न, असुविधा या क्षति के जोखिम को निवारित करने के लिए आवश्यक समझता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित के निवारण, प्रतिषेध, नियंत्रण या विनियमन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :–

(क) किन्हीं परिसरों में निम्नलिखित के घटने या जारी रहने पर–

  (i) किसी कंठ संगीत या वाद्य संगीत,

  (ii) किसी यंत्र जिसमें लाउड स्पीकर, [4](लोक संबोधन प्रणाली, हार्न, उपकरण या उपस्कर) साधित्र या यंत्र या प्रयुक्ति जो ध्वनि उत्पादित या पुनरुत्पादित करने के योग्य है के किसी भी रीति से बजाने, पीटने, टकराने, पीटने, टकराने, धमन या प्रयोग द्वारा कारित ध्वनियां, या

  (iii) [5]ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ने से कारित ध्वनि, या

(ख) किन्हीं परिसरों में या किसी व्यापार, उप–व्यवसाय या संक्रिया या प्रक्रिया का करना जिसके परिणामस्वरूप या जिसके करने से ध्वनि हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन सशक्त किया गया प्राधिकरण या तो स्वयं अपनी प्रेरणा से उपनियम (1) के अधीन किये गए किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश में या तो विखंडित, उपांतरित या परिवर्तित कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी आवेदन का निपटान करने से पूर्व, उक्त प्राधिकरण [6](यथास्थिति, आवेदक और मूल शिकायतकर्ता को) व्यक्तिगत रूप से या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने समक्ष हाजिर होने और उक्त आदेश के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा तथा यदि वह ऐसे किसी आवेदन को

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 7 द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 8 द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2(ii) (क) द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569(अ), दिनांक 19.09.2006 को अधिसूचित।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 9(i) द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 9(ii) द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित।
6. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2(ii) (ख) द्वारा अंतः स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569(अ), दिनांक 19.09.2006 को अधिसूचित।

पूर्णतया या भागरूप रद्द करता है तो ऐसे रद्द किये जाने के लिए कारण अभिलिखित करेगा।

टिप्पणी :– 1. दिन के समय से 6.00 बजे पूर्वा से 10.00 अप. तक अभिप्रेत है।

2. रात्रि समय से 10 बजे अप. से 6.00 बजे पूर्वा तक अभिप्रेत है।

[1](3. शांत परिक्षेत्र वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे समक्ष प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, के आस–पास कम से कम 100 मीटर में समाविष्ट है।)

4. मिश्रित प्रवर्गों के क्षेत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित चार प्रवर्गों में से एक घोषित किये जा सकते हैं।

*डीबी(ए) लैक द्योतक है मानवीय श्रवण से संबंधित मापक 'ए' पर डेसीबल में ध्वनि का समय भारित औसत स्तर।

''डेसीबल'' वह एकक है जिसमें ध्वनि मापी जाती है।

डीबी(ए) लैक में ''ए'' द्योतक है ध्वनि के माप में आवृति भार और मानवीय कान की आवृति उत्तर लक्षणों के समरूप है।

लैक : यह विनिर्दिष्ट अवधि में ध्वनि स्तर का ऊर्जा माध्य है।

3.9 स्टॉकहोम सम्मेलन,1972 (Stockholm Convention, 1972)

स्टॉकहोम सम्मेलन का पूरा नाम ''चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉक होम सम्मेलन'' (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Pop) है। इसका मुख्य उद्देश्य चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को विलोपित करना (Eliminate) अथवा उनके उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि (International Environmental Treaty) है जिस पर 2001 में विभिन्न राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए तथा यह 17 मई, 2004 से प्रभावी (Effective from, May 2004) हुई। इसमें 128 Parties और 151 Signatories थे। इसमें हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 12 रसायनों में 09 रसायनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय किया तथा मलेरिया के नियंत्रण के लिए DDT के कम उपयोग पर तथा डायोक्सिन्स (Dioxins) और फ्यूरेन्स (Furans) के अप्रासंगिक उत्पादन (Inadvertent production) को कम करने पर निर्णय किया गया।

मार्च 2016 तक इस सम्मेलन में 181 देश (180 राज्य और यूरोपियन यूनियन) सम्मिलित है।

स्टॉकहोम सम्मेलन में POPs में 12 रसायन, तीन श्रेणियों में सम्मिलित किये थे, उनके नाम हैं–

श्रेणी

(A)

1. एल्ड्रिन
2. क्लोरेडेन
3. डाइएल्ड्रिन
4. एन्ड्रिन
5. हेप्टाक्लोर
6. हेक्साक्लोरो बेन्जिन
7. मिरेक्स
8. टॉक्साफिन
9. पोलीक्लारीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs)

(B) 10-DDT

(C) (i) पोली क्लोरीनेटेड डाइबेन्जो–पी–डायोक्सिन्स (''डायोक्सिन्स'') और पोलीक्लोरीनेटेड डाइबेन्जोफ्युरान्स

(ii) पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs)

(iii) हेक्साक्लोरोबेन्जीन

इनके अतिरिक्त 2013 व 2015 में भी कुछ और रसायन इस सूची में जोड़े गये है जैसे हेक्साब्रोमो साइक्लोडाडीकेन व हेक्साक्लोरो ब्युटाडीन व पेन्टाक्लोरोफिनोल आदि।

इस सम्मेलन की समय–समय पर पुनर्निरीक्षण बैठकें होती रहती है।

3.10 मोन्ट्रियल संलेख (Montreal Protocol)

मोन्ट्रियल संलेख या प्रोटोकोल एक सफलतम अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकोल में मानव निर्मित उन रसायनों के उत्पादन को क्रमशः कम करते जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है जिनसे ओजोन स्तर की कमी (Depletion of Ozone) होती है। इस प्रोटोकोल का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की ओजोन की कमी होने से दुष्प्रभावों से रक्षा करना है।

इस प्रोटोकोल पर 16 सितम्बर, 1987 पर सहमति हुई तथा इसकी क्रियान्विति 1 जनवरी, 1989 को हुई। इसकी प्रथम बैठक

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046(अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित।

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 14 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किये थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 1046(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2000, का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002 का.आ. 1569(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2006 और का.आ. 50(अ), तारीख 11 जनवरी, 2010 द्वारा किये गए।

मई, 1989 में हेल्सिंकी में हुई। इस समझौते का पुनरीक्षण आठ बार हो चुका है। इस प्रोटोकोल की क्रियान्विति के कारण ओजोन स्तर में होने वाली कमी की दर कम हुई है और एक अनुमान के अनुसार ओजोन का स्तर 2050 और 2070 के बीच 1980 के स्तर पर आ जायेगा।

शर्तें और उद्देश्य (Terms and Purposes)

इस प्रोटोकोल में कई हेलीजीनेटेड हाइड्रो कार्बन्स के समूह की चर्चा है जो स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन की कमी के लिए उत्तरदायी है। इन सभी रसायनों में क्लोरीन या ब्रोमीन उपस्थित होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) और कुछ अन्य ओजोन डिप्लाटिंग सबसन्टेसेज (ODS s) अभी मोन्ट्रियल प्रोटोकोल से नियंत्रण में नहीं है।

इस प्रोटोकोल में क्रमशः उत्पादन कम किये जाने वाले रसायनों में निम्न समूह सम्मिलित है–

I क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स (CFCs) (Chlorofluoro Carbons)

II हाइड्रो क्लोरोफ्लोरा फ्लुरो कार्बन्स (HCFCs) (Hydro Chlorofluoro Carbons)

इस प्रोटोकोल के परिणामस्वरूप उन सभी देशों ने ओजोन डिप्लिटिंग सबसन्टेसेज (ODS s) के उत्पादन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए CFCs और HCFCs को उपयोग कम करना प्रारम्भ कर दिया है।

मानव स्वास्थ्य पर के प्रभाव पर हुए शोध कार्यों का निष्कर्ष है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 280 (1 मिलियन = दस लाख) चर्म कैंसर, 1.5 मिलियन चर्म कैंसर से मृत्यु और 45 मिलियन केटेरेक्ट रोग की रोकथाम होगी।

यद्यपि इस प्रोटोकोल के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं किन्तु HCFCs या HFCs के बारे में यह जानकारी मिली है कि इनसे मानव जनित वैश्विक उष्मायन (Anthropogenic global warming) की सम्भावना बढ़ती है। अणु दर अणु के आधार पर इन यौगिकों का ग्रीन हाउस प्रभाव CO_2 से दस हजार गुणा अधिक है। यद्यपि मोन्ट्रियल प्रोटोकोल HCFCs के उपयोग को 2030 तक बंद करने का प्रावधान है परन्तु HFCs के उपयोग के बारे में नियंत्रण का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

3.11 क्योटो प्रोटोकोल या क्योटो संधि (Kyoto Protocol (CoP_3, UNFCCC)

UNFCCC = United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC)

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचागत सम्मेलन

जापान के क्योटो शहर में की 1–10 दिसम्बर, 1997 को हुए सम्मेलन में इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए इस प्रोटोकोल का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों (Green House Gases = GHG) के उत्सर्जन (Emissions) में कटौती करना था।

इस प्रोटोकोल के तहत जापान ने 1990 के स्तर से 6% नीचे और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने 7% और यूरोपियन यूनियन (European Union = EU) ने 8% की कटौती की सन् 2008–2012 के बीच करने में अपनी सहमति दी। औसतन इस प्रोटोकोल ने 2008–12 के मध्य में 5.2% कटौती का उद्देश्य रखा था।

इस प्रोटोकोल में जीवाश्मी ईंधन (Fossil fuel) के उपयोग में कमी के बजाय निम्न तीन लचीली क्रियाविधियां (Flexibility mechanisms) अपनाई गई–

1. **उत्सर्जन व्यापार** (Emission trade) : प्रत्येक औद्योगिक देश अपनी उत्सर्जन पात्रता (Entitlement) के अनुसार व्यापार कर सकते हैं।
2. **संयुक्त कार्यान्विति** (Joint implementation) : इस प्रावधान के अनुसार एक औद्योगिक देश किसी अन्य देश में ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है, जिससे उत्सर्जन में कटौती हो और उसे कटौती को अपने देश के गैस उत्सर्जन में बता सकता है।
3. **स्वच्छ विकास क्रियाविधि** (Clean development mechanism = CDM) : यह भी प्रावधान संख्या 2 के अनुसार ही है किन्तु प्रोजेक्ट विकासशील देशों में होंगे।

इसके साथ ही औद्योगिक देशों को यह स्वीकृति भी इसमें दी गई कि वे वन वृक्षों (Forest trees) को भी CO_2 उत्सर्जन की कमी को गिनाने में उपयोग में ले सकेंगे।

इस प्रोटोकोल के तहत 1998, 1999, 2000, 2001 में निरंतर बैठकों में इसकी क्रियान्विति पर चर्चा होती रही है किन्तु वांछित सफलता मिलनी अभी भी अपेक्षित है।

पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधाएं (Issues Involved in Enforcement of Environmental Legislation)

जैसा कि ऊपर वर्णित है, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण आदि से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं। लेकिन इन अधिनियमों को लागू करने में अनेक बाधाएं आती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :–

1. **बढ़ती हुई जनसंख्या :** अधिक जनसंख्या दबाव के कारण पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए बहुत अधिक धन, समय तथा जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अधिक जनसंख्या अपने आप में पर्यावरणीय कानूनों के लागू करने में सबसे बड़ी बाधक है।
2. **अशिक्षा :** पर्यावरण कानूनों को लागू करने में शिक्षा की बड़ी अहम् भूमिका होती है। विकासशील देशों में जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है वहां पर्यावरण कानूनों को लागू करने में अधिक बाधाएं आती हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति इन कानूनों के महत्व को नहीं समझता।
3. **अनभिज्ञता :** अनेक शिक्षित लोग भी पर्यावरणीय कानूनों से अनभिज्ञ हैं। अतः पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए शिक्षित लोगों को भी इन कानूनों का ज्ञात कराना आवश्यक है। इसके लिए इन कानूनों के अर्थ व महत्व का व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है।
4. **पर्याप्त कानून का अभाव :** वैसे तो पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं, फिर भी वन व वन्य जीवों के उपयोग व व्यवसाय, जलाशयों को गन्दा करने से रोकने, खनन आदि से सम्बन्धित मामलों में पर्याप्त कानूनों का अभाव है। कुछ मामलों में कानूनों में खामियां भी हैं, लोग जिसका अनुचित फायदा उठाते हैं।
5. **आर्थिक कारण :** अधिक लाभार्जन के लालच में गलत तरीके से संसाधनों का दोहन होता है। हमारे देश में थोड़े से पैसों की रिश्वत देकर किसी अधिकारी से गलत तरीके से अनुमति प्राप्त कर लेना एक आम बात हो गयी है। छोटे उद्योगों में आर्थिक तंगी के कारण अपशिष्टों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। बड़े–बड़े उद्योगपति तथा तस्कर धन के लालच में कानूनी खामियां का फायदा उठाते हैं।
6. **धार्मिक रीति–रिवाज :** विभिन्न धार्मिक आयोजनों के तहत मूर्तियों, ताजियों, पूजा, सामग्री आदि को जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार के मुद्दे चूंकि जनभावना से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें पर्यावरणीय कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ।
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 में लागू हुआ।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में चार अध्याय तथा 26 खंड हैं।
4. भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A व 51A जोड़े गये हैं।
5. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 9 दिसंबर 1972 को लागू किया गया।
6. जल अधिनियम 23 मार्च, 1974 को 12 राज्यों में लागू किया गया।
7. स्टॉकहोम सम्मेलन की सिफारिशें 17 मई 2004 से प्रभावी हुई।
8. मोन्ट्रियल प्रोटोकोल ओजोन स्तर को कम करने वाले रसायनों के उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधि है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. क्योटो प्रोटोकोल कब लागू हुआ?
   (अ) 1997 (ब) 1986
   (स) 2001 (द) 2006
2. मोन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है?
   (अ) ऑक्सीजन (ब) ओजोन
   (स) जल वाष्प (द) सौर ऊर्जा
3. स्टॉकहोम सम्मेलन में POP's में सम्मिलित 12 रसायनों को कितनी श्रेणियों में रखा गया?
   (अ) तीन (ब) दो
   (स) चार (द) पांच

अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न

1. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत किसी एक मूल कर्तव्य को लिखिये।
2. वन्य जीव अधिनियम का एक उद्देश्य लिखिये।
3. जल अधिनियम की एक विशेषता लिखिये।

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. संविधान के अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, समझाइये।
2. जल अधिनियम की चार विशेषताएँ लिखिये।
3. वन अधिनियम की तीन विशेषताएँ बताइये।
4. स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य लिखिये।
5. मोन्ट्रियल आलेख की विशेषता बताइये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. पर्यावरण कानूनों को लागू करने में कौन–कौनसी बाधायें हैं।
2. क्योटो प्रोटोकोल पर संक्षिप्त निबंध लिखिये।
3. जल अधिनियम की विशेषतायें बताइये।

उत्तरमाला: 1 (अ) 2 (ब) 3 (अ)